सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग , बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल छपरा के पत्रांक 811 दिनांक 02/07/14 के द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजना के प्राक्कलन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा के ज्ञापांक 71 दिनांक 15.07.2014 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 % की राशि को विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता हैं।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनओ का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80 %	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	छपरा सदर	राजेन्द्र स्टेडियम छपरा मे लॉन टेनिस कोर्ट (क्ले एवं सिंथेटिक) का निर्माण कार्य।	6860440	6860440	5488352	श्री राजीव प्रताप रुडी

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (अरसठ लाख साठ हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र)
विमुक्ति राशि (चौवन लाख अठासी हजार तीन सौ बावन रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजना का कार्य कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल छपरा के द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यन्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यन्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नही है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नही पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओ का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. .योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरुप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. .योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

Aadas lost rajiv pratap rudi

प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरित किया जा सके।

10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 391 /यो0 दिनांक 15/07/14 /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषितं।

प्रतिलपि :- नाजीर जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला योजना पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

15/07/14

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

Aadas lui rajiv prasap nali